

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री आशीष मोदी आई.ए.एस.



वादी संख्या :- 02/34/2017

मुरारीलाल बनाम रमेश वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 05.01.2018

आज पत्रावली न्यायालय में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आया। वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि वो प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। उनके द्वारा प्रकरण नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

वकील वादी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट नो इन्स्ट्रक्शन में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(आशीष मोदी, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)